

तारीख
अहकाम जो हुकम
में जारी हुए

तारीख
हुकम

हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

नम्बर व तारीख
अहकाम जो हुकम
की तामील में जारी हुए

21/12/2023

आर्ये प्रार्थी 200। आर्ये प्रार्थी ने आर्ये कोर्ट इन्फेज पेश नली करना जहेर म
कहत की प्रार्थना की। आर्ये प्रार्थी से
महसस हुई। निर्विम। आदेश। तुनाया मय
किस्तल रिमिम मिम्म मय ही:-


आर्ये प्रार्थी ने अपनी कहत
में प्रार्थना पत्र के तथ्यों को देखाते
हुए कथन दिए कि प्रार्थी का मनफूल
व मोली डेवी दोनों नामों से ही जाना
जाता है, वस कारण राजस रिमोर्ड में
प्रार्थी का नाम मनफूल पत्नी कहर
शुपर राजस रिमोर्ड में कर दिखायी
जबकि अन्य सरकारी इन्फेज, जन कलर
काउं, परमान पत्र, आचार वरु में प्रार्थी का
नाम मोली डेवी का केवल ही का
वर्तमान राजस रिमोर्ड जगखरी सन्
2074-77 के खाना लेखा 290 कुल
किता 5 कुल रकबा 0.65 है: म
में प्रार्थी का नाम मनफूल के
स्थान पर मोली डेवी किया जा
अप्रार्थी तहसीलदा भी लखी
जरी भी गरी।

तहसीलदार ने अपने पत्र
में मुखलया प्रार्थना काज के किडुके
को कहीकर कहे हुए किडोव में
लिखा कि वादीया राजस इन्फेजो
साध्य व सखो के कपता पत्र साबित
करे।

पत्रघानी का कपलोकन किता
आर्ये प्रार्थी की कहत पर मनन

9

क्रिया। पत्रवाली पर उपरोक्त प्रार्थना
का शपथ पत्र. सरपंच ग्राम पंचायत
चौदण्डिलपुरा का प्रमाण पत्र पत्रावाली
काई - कायदा काई क पत्रावाली पत्र मे
प्रार्थना के नाम के रूप में भोली देवी
का अंकन है, जिसके प्रार्थना शपथ
रिपोर्ट जमाकड़ी में मनफूल के स्थान
पर भोली देवी करवाता चाली है।
प्रार्थना के अपने प्रा. पत्र के समर्थन
में किसी भी प्रकार का राजस्व एकीकृत
पेठा नहीं किया है कि कब क रूपे
प्रार्थना का नाम मन्वर राजस्व रिपोर्ट
में किया गया है उक्त प्रार्थना
प्रा. पत्र अन्तर्गत धारा 136 L.R.A.C
की सेवा के अनुसार क प्रावधानों
के अन्तर्गत नहीं होते हैं प्रार्थना
पत्र स्वीकार योग्य नहीं है अतः
प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है।
पत्रवाली फैसल कुमार लोभा वरुण
एक कम है। वाकिल एफएल
क्रिया शुरू न्यायालय में सुनवाई
गया।


उपस्थंड अधिकारी
देवली (तोंदा)